न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती विन्दु वाला राजावत, (आर.ए.एस.)
दावली संख्या. 128 / 2025
किस्म :— प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक : 20.08.2025

अनवान

माधु पिता बद्रीलाल जी जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार महोदय रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक नायब तहसीलदार महोदय गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. शम्भुलाल पिता बद्रीलाल जी जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. हिरा बाई पत्नि बद्रीलाल जी जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—
प्रार्थी की ओर से :— अधिवक्ता राकेश सनाढ्य।
विपक्षी की ओर से :— पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक 08.01.2026

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन कि प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाईयों शम्भुलाल गणेश बद्रीलाल व माता हिरी बाई के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि आराजीयात् मौजा कोटडी में स्थित थी। जो निम्न प्रकार है -

आराजी नम्बर	रकबा
1334	1.1400
1335	0.0600
1336	0.0600
1337	1.1100
1344	2.1800
1906	3.0000
1907	0.0700
1908	2.1000
1911	3.0500
1918	2.1500
1966	0.0600
1967	1.1300
1968	1.0700
2417 / 1337	0.1400
1476 / 1344	0.0600

कुल किता 16 कुल रकबा 24.12 बिघा

उपरोक्त आराजीयात् का सम्वत् 2070 से 2073 में आपसी विभाजन हो चुका था तथा विभाजन स्वरूप आराजीयात् खातेदारान् को प्राप्त हो चुकी थी। तथा इसी दरमियान् खातेदार माधु, गणेश पिता बद्रीलाल ने आराजी स. 1966, 1967, 1968 कुल किता तीन कुल रकबा 3 बिघा 6 बिस्वा हिस्से में से 1/4 हिस्सा राजेश पिता लालचन्द जाट व 1/8 हिस्सा अर्पित पिता विनय कुमार माथुर तथा 1/8 हिस्सा अक्षत पिता संजय कुमार माथुर को विक्रय कर दिया था। जिसका पता उक्त खातेदारान् की बहन को होने पर बहन के द्वारा एक विरासती नामान्तरकरण जो पिता की मृत्यु पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा भाईयों के पक्ष में अर्थात् माधु, गणेश शम्भु पिता बद्रीलाल व हिरी पति बद्रीलाल के नाम पर नामान्तरकरण संख्या 627 दिनांक 11/01/1990 निर्णित किया गया। उसकी जानकारी हुई तो उसने उक्त नामान्तरकरण की अपील माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय रेलमगरा जिला राजसमन्द में प्रस्तुत कर दी गई

जिसके अपील संख्या 01/2017 होकर उसमें अपीलाण्ट द्वारा सभी खातेदारान् को व ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया गया जिसका निर्णय माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय रेलमगरा द्वारा दिनांक 28/05/2018 को निर्णित करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा जो नामान्तरकरण संख्या 627 दिनांक 11/01/1990 को निर्णित किया गया उसे निरस्त करते हुए पत्रावली को इस निर्देश के साथ तहसीलदार महोदय रेलमगरा के यहाँ प्रतिप्रेषित किया कि मामले में विधिक प्रतिनिधियों की समुचित जांच कर एवं समस्त पक्षकारान् को सुना जाकर नियमानुसार नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। जिस पर उक्त नामान्तरकरण पुनः निरस्त होते हुए वापस प्रार्थना पत्र ग्रस्त भूमियां पुनः बद्रीलाल के नाम पर चली गई तथा तहसीलदार द्वारा समुचित जांच कर नये सिरे से समुचित जांच कर नवीन नामान्तरकरण निर्णित किया गया जिसमें सभी खातेदारान् मायु पिता बद्रीलाल, शम्भु पिता बद्रीलाल, हीरा पत्नि बद्रीलाल व पारस पुत्री बद्रीलाल का समान 1/4-1/4 हिस्सा मानते हुए नामान्तरकरण निर्णित फरमा दिया गया। तथा विभाजन स्वरूप जो भूमियां थी वह उसी अनुरूप रखते हुए नामान्तरकरण निर्णित किया गया। श्रीमति पारस द्वारा जिस विरासती नामान्तरकरण की अपील की गई थी वह कृषि भूमि की की गई थी तथा खातेदार माधु, गणेश पिता बद्रीलाल ने जो भूमियां आराजी संख्या 1966, 1967, 1968 में अपना 1@2 हिस्सा राजेश कुमार, अर्पित कुमार, अक्षत को जो विक्रय की थी विक्रय के पश्चात् उनके द्वारा विभाजन पश्चात् उक्त भूमियों को औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराते हुए आराजी संख्या 3802/1966 रकबा 0.0243 हेक्टेयर उद्योग प्रयोजनार्थ व आराजी संख्या 3803/1967 रकबा 0.1619 हेक्टेयर उद्योग प्रयोजनार्थ करवा दी गई। जिसकी कोई जानकारी उक्त पारस को नही थी। तथा पारस ने जो अपील प्रस्तुत की थी उसमें उक्त सारी भूमियां कृषि भूमि थी तथा आराजी संख्या 1966 रकबा 0.0600 किस्म बीड़, आराजी सं. 1967 रकबा 1.1300 किस्म बारानी द्वितीय 1.1100 बीड़ 0.0200, आराजी सं. 1968 रकबा 1.0700 किस्म बीड़ 0.0300 बारानी द्वितीय 1.0400 थी। जब तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तरकरण ही निरस्त कर दिया गया था तो किस्म भी परिवर्तन होनी चाहिये थी परन्तु तहसीलदार द्वारा किस्म परिवर्तन नही किया गया। तथा वर्तमान जमाबंदी में आज भी उद्योग प्रयोजनार्थ ही राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। जो कि एक प्रत्यक्ष त्रुटि है। जिसे उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये सुधार कराया जाना नितान्त आवश्यक है। जिस कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी अपनी भूमि का समुचित उपयोग कृषि के रूप में नही कर पा रहा है। तथा उसे भारी असुविधा का सामना करना पड रहा है। तहसीलदार महोदय द्वारा जब नामान्तरकरण ही निरस्त कर दिया गया है तथा भूमि पूर्व की स्थिति में चली गई है तो भूमि का वर्गीकरण भी पूर्व की स्थिति में जाना चाहिये था। जो नही जाकर वर्तमान जमाबंदी में यथास्थिति कर दिया गया है जो कि रेकार्ड की एक प्रत्यक्ष त्रुटि है जिसे सुधार कराया जाना नितान्त आवश्यक है। अन्यथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित हो रही है प्रार्थी अपनी कृषि आराजीयात् का समुचित उपयोग नही कर पा रहा है। औद्योगिक दर्ज होने से भूमि का ढंग से उपयोग इत्यादि भी नही कर पा रहा है। तथा ऋण इत्यादि लेने में भी प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा है। यह रेकार्ड की एक प्रत्यक्ष त्रुटि है जिसे सुधार कराया जाना आवश्यक है। जिसके लिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश है। नामान्तरकरण पश्चात् राजस्व रेकार्ड में पारस देवी का नाम अंकित होने के पश्चात् पारस देवी ने अपने नाम का रजिस्टर्ड हकत्याग वादी के नाम कर दिया गया जिससे पारस देवी के नाम की समस्त चल अचल जायदाद उपरोक्त समस्त कृषि भूमियां वादी के नाम अंकित हो गई तथा वादपत्र में खाता सं 352 में विभाजन स्वरूप वादी के नाम 1/2 हक से भूमियां अंकित हुई जिसमें आराजी सं. 1966 रकबा 0.0243 किस्म बीड 1967 रकबा 0.0324 किस्म बारानी द्वितीय आराजी सं. 3802/1966 रकबा 0.0243 किस्म उद्योग प्रयोजनार्थ आराजी सं. 3803/1967 रकबा 0.1619 किस्म उद्योग प्रयोजनार्थ, आराजी सं 3804/1967 रकबा 0.0243 बारानी कुल किता 5 पांच कुल रकबा 0.2372 हेक्टेयर द्वितीय दर्ज हो गई। नकल जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि साथ संलग्न है। तथा 1/4 हिस्सा वादी के भाई शम्भुलाल पिता बद्रीलाल व 1/4 हिस्सा वादी की माता हिरा बाई के नाम अंकित हुई तथा भूमि का वर्गीकरण उपरोक्त भूमियों में ही गलत अंकित होने से उक्त जमाबंदी में ही शुद्धि कराने की वजह से उक्त खाते के बारे में ही यह वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। जिस कारण किसी भी कानूनी आपत्तिवश प्रतिवादी सं. 3 तीन व 4 चार को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी को उक्त बात की जानकारी नही थी तथा अभी जैसे ही राजस्व रिकॉर्ड की ऋण प्राप्त करने हेतु नकलें प्राप्त की तो जानकारी हुई तथा जानकारी होते ही तुरन्त सम्पूर्ण नकलें प्राप्त की तथा नकलें प्राप्त करते ही तुरन्त उक्त सुधार हेतु आज से एक माह पूर्व विपक्षीगण सं. 1 एक व 2 दो को कहा गया परन्तु उन्होंने सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र दायर करने का कहने से यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से आप न्यायालय में अन्दर अवधि प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र नियमानुसार निर्धारित न्यायशुल्क ३ रु. पर पेश है। उक्त आराजीयात्

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी

टडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में स्थित होने से न्यायालय आपके क्षेत्राधिकार में होने से उक्त रण की सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय आपको प्राप्त है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गांव कोटडी की वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2077 के खाता 352 में दर्ज आराजी संख्या 3802/1966, 3803/1967 की किस्म उद्योग प्रयोजनार्थ दर्ज है जिसे धि किया जाकर आराजी सं. 3802/1966 किस्म बीड़ व आराजी सं. 3803/1967 किस्म बारानी तीय/बीड़ राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कराया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस तलब किये गये। विपक्षीगण के नोटिस तामील प्राप्त हुए। सभी अनुपस्थित। इनको बार – बार आवाज दिलवाई। बावजूद सूचना अनुपस्थित के विरुद्ध कार्यवाही एक – तरफा की गई। प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सूनी गई।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का अवलोकन करने से हिर आया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण अस्वीकार जाना उचित प्रतीत होता हैं। ः आदेश दिया जाता है कि –

:: आदेश ::

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम को सारहीन होने के कारण ारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 08.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विन्दु बाला राजावत, RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी, रेलमगरा (राजसमंद)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा